

कारण पत्रावली पेश करने के लिए
दिनांक 4.11.2019 को पेश हों।

रीडर

4.11.19 पत्रावली पेश हुई! आज बार सघ द्वारा काय स्थगित रखा
गया है! पत्रावली वास्ते.....तनकीदात.....
भायन्दा दिनांक.....14.11.19.....को पेश हों!

14.11.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष
उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दवा
के संलग्न दस्तावेज माननीय अपर जिला
न्यायाधीश (कैम्प डूंगराड) के मु.न.
36/2017 निर्णय दिनांक 20.2.2019 के
अनुसार वादगत असरों पर ता फ़ैसला
वाद दथास्थिति बनाये रखने के आदेश
दिये हुए हैं। यह प्रकरण वसीयत से
सम्बन्धित है तथा माननीय अपर जिला
न्यायाधीश (कैम्प डूंगराड) में आज
भी विचारधीन चल रहा है। ऐसी
स्थिति में जब तक माननीय अपर जिला
न्यायाधीश न्यायालय से निर्णय नहीं हो
जाता इस न्यायालय में यह प्रकरण
निस्तारित नहीं किया जा सकता। अतः
वादी को निर्देशित किया जाता है कि
माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश
(कैम्प डूंगराड) के निर्णय बाद ही
अगामी कार्यवाही हेतु यदि आवश्यक हो
ता इस न्यायालय से शक्ति प्राप्त कर
सकता है। अतः वादी वाद खारिज किया
जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्ट्रार
में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(शकेश कुमार न्योल)

